

# राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018 दूरभाष नं. 0141-2722520

क्रमांक: प.14(84)RSSB/अर्थना/वन विभाग/सीधी भर्ती/2020/3533

दिनांक: 11/11/2020

विज्ञापन सं.04/2020

## — वनपाल एवं वनरक्षक सीधी भर्ती परीक्षा-2020 —

वन विभाग राजस्थान के लिये राजरथान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 2015 तथा राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मन्त्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तों) नियम, 2014 के अन्तर्गत निम्नलिखित स्थाई पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन पत्र (On Line Application Form) आमंत्रित किये जाते हैं— वनपाल के गैर अनुसूचित क्षेत्र के 73 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 14 कुल 87 एवं वनरक्षक के गैर अनुसूचित क्षेत्र के 886 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 155 कुल 1041

क्र.सं.	पद का नाम	गैर अनुसूचित क्षेत्र	अनुसूचित क्षेत्र	कुल पद
1.	वनपाल	73	14	87
2.	वनरक्षक	886	155	1041

विशेष नोट :-

(1) On line Application Form में समस्त वांछित सूचना आवश्य अंकित करे। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा इसमें दिये गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन भरें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर उस परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी रखने आवेदक की होगी तथा गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यक्तिगत स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(2) आवेदन की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के निर्देशों एवं नवीनताम नियमों के अध्याधीन परिवर्तनीय होगी।

**1. आवेदन प्रक्रिया:-** आवेदन On line Application Form में लिये जाएंगे जिन्हें साज्य के निर्धारित ई-मित्रकियोस्क/जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से भरा जा सकता है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अपना SSO ID बनाल एवं SSO ID एवं Password याद रखें। यदि आवेदक ई-मित्र कियोस्क/जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से आवेदन भरता है तो ई-मित्र/जन सुविधा केन्द्र संचालक सबसे पहले बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर recruitment पर Click करेगा। संबंधित भर्ती परीक्षा के सामने Apply Online पर Click करने पर Login Page खुलेगा जिसमें ई-मित्र/जन सुविधा केन्द्र संचालक अभ्यर्थी के SSO ID एवं password से Login कर अभ्यर्थी का आवेदन भरगा। जो अभ्यर्थी पहले से पंजीकृत नहीं है उसका पहले Not a Registered User Link पर Click कर www.sso.rajasthan.gov.in पर उसका पंजीयन करें। पंजीयन के उपरात उसका SSO ID एवं password प्राप्त कर Login करें। ई-मित्र/जन सुविधा केन्द्र संचालक आवेदक का आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के बाद Application preview Page खोलकर अभ्यर्थी को उसका भरा हुआ आवेदन दिखायेगा। अभ्यर्थी स्वयं अपने भरे हुए आवेदन की पुनः गणना से जांच करेगा। यदि आवेदन में कोई त्रुटि रह जाती है तो ई-मित्र कियोस्क संचालक अभ्यर्थी के आवेदन में आवेदक से संशोधन कर्तव्यों को दूर करेगा। त्रुटियों को सुधारने के बाद आवेदक का पुनः उसके आवेदन का Preview दिखाकर यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टियां पूर्ण रूप से सही हैं। सही—सही आवेदन भरने के बाद Submit पर Click करेगा। इसके बाद आवेदन में काई संशोधन नहीं किया जा सकेगा। सम्पूर्ण आवेदन भरने के बाद अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित परीक्षा शुल्क ई-मित्र कियोस्क पर जमा कराना होगा। इस हेतु अभ्यर्थी द्वारा रुपये 30/- (रुपये 20/- आवेदन पत्र भरने हेतु + रुपये 10/- परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु) सेवा प्रदाता को सदा शुल्क के रूप में देना होगा। आवेदन भरने के बाद अभ्यर्थी ई-मित्र कियोस्क संचालक से भरे हुए आवेदन की हार्ड कॉपी मय रसीद आवश्यक ज्ञात स प्राप्त करें। आवेदन को Submit करने मात्र ये आवेदन भरा हुआ नहीं माना जायेगा। आवेदन Submit करने एवं फीस जमा कराने के बाद भी यदि आवेदन पर Transaction Failed आ रहा है तो आवेदन भरा हुआ नहीं माना जायेगा। ऐसी स्थिति में ई-मित्र हेल्पलाइन नम्बर 0141-2221424 / 2221425 पर सम्पर्क करें। ऑनलाइन आवेदन संबंधी समस्याओं के लिये हेल्पलाइन नम्बर 0294-3057541 पर सम्पर्क करें। आवेदन की रसीद अभ्यर्थी को ई-मैल/एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होगी। हाथ से भरे आवेदन—पत्र किसी भी रूप से चयन बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

अभ्यर्थी अपना SSO ID एवं password से Login करें। इसके पश्चात Dashboard पर Ongoing Recuitment पर संबंधित परीक्षा के Apply now link पर Click कर अपना आवेदन भरें। आवेदन पूर्ण रूप से भरने के बाद Next पर Click करने पर Application preview Page खुलेगा। अभ्यर्थी स्वयं अपने द्वारा भरे गये आवेदन की पुनः गणना से जांच कर ले तथा यदि कोई त्रुटि रह जाती है तो अभ्यर्थी Update पर Click करके अपने आवेदन में संशोधन कर त्रुटियों को सही कर सकता है। त्रुटियों को सुधारने के बाद आवेदक पुनः अपने आवेदन का Preview दख कर यह सुनिश्चित कर ले कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टियां पूर्ण रूप से सही हैं। अभ्यर्थी सही—सही आवेदन भरने के बाद Submit पर Click करें। आवेदक अपना आवेदन Submit करने के बाद OK पर Click करें। इसके बाद आवेदन में कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा। OK पर Click करने के बाद Pay Fees का Page खुलेगा। अभ्यर्थी अपनी श्रेणी के अनुसार परीक्षा शुल्क नेट बैंकिंग/एटीएम, कम डेबिट कार्ड/ड्रेडिट कार्ड/ई-मिश्र के माध्यम से जमा करवा सकता है। आवेदन भरने के बाद अभ्यर्थी आवेदन की हार्ड कॉपी मय रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करें। आवेदन Submit करने एवं फीस जमा कराने के बाद भी यदि आवेदन पर Transaction Failed आ रहा है तो आवेदन भरा हुआ नहीं माना जावेगा। ऐसी स्थिति में ई-मित्र हेल्पलाइन नम्बर 0141-2221424 / 2221425 पर सम्पर्क करें। ऑनलाइन आवेदन संबंधी समस्याओं के लिये हेल्पलाइन नम्बर 0294-3057541 पर सम्पर्क करें। आवेदन की रसीद अभ्यर्थी को ई-मैल/एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होगी। हाथ से भरे आवेदन—पत्र किसी भी रूप से चयन बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

नोट:-

1. आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरने से पूर्य उसकी प्रविष्टियों से आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही—सही भरी गई हैं। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर आगे की कार्यवाही की जावेगी। आवेदक आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें। एक बार आवेदन भरने के बाद उसमें रही किसी भी प्रकार की त्रुटि को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
2. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के उपरान्त रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करें।
3. आवेदक यह ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन के उपरान्त उन्हें आवेदन—पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा और यदि आवेदन—पत्र क्रमांक (एप्लीकेशन आईडी) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन—पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदक आवेदन प्रपत्र के preview को आवेदन submit न करें।
4. कृपया ऑनलाइन आवेदन—पत्र भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति एवं अभ्यर्थियों के लिये आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा—निर्देशों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें। इस विज्ञप्ति एवं उक्त दिशा—निर्देशों का ध्यान में रखकर ही ऑनलाइन आवेदन भरें।

5. आवेदक अपने स्वयं का ही मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आईडी दर्ज करें तथा इसे नहीं बदलें। महत्वपूर्ण सूचनाएँ आवेदन में दर्ज मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आईडी पर ही भेजी जाती हैं।
6. अभ्यर्थी द्वारा एक पद के लिये एक ही ऑनलाइन आवेदन भरा जावें। यदि अभ्यर्थी एक स अधिक आवेदन भरता है तो उसके द्वारा मरे गये अंतिम आवेदन को ही स्वीकार किया जावेगा।
7. इस भर्ती से संबंधित समस्त सूचनाएँ बोर्ड द्वारा बोर्ड की वेबसाइट [www.rsmssb.rajasthan.gov.in](http://www.rsmssb.rajasthan.gov.in) के माध्यम से ही दी जावेगी। कृपया इस भर्ती से संबंधित सभी सूचनाओं के लिये नियमित रूप से बोर्ड की वेबसाइट का अग्रलोकन करते रहें।

## 2. परीक्षा शुल्क:- आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से चयन बोर्ड को भेजे।

- (क) सामान्य वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग व कीमिलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु -रूपये 450/-  
 (ख) राजस्थान के नॉन कीमिलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु -रूपये 350/-  
 (ग) समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु -रूपये 250/-  
 (घ) कार्मिक विभाग के परिपत्र कमांक प.8(3) कार्मिक/क-2/18 दिनांक 02.05.2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम है, के लिये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क रूपये 250/-देय है। (कृपया इस संबंध में नीचे अंकित नीट संख्या 5 भी अवश्य देखें।)

**नोट-**

1.आवेदकों की सुविधा के लिये राज्य के समरत ई-मित्र कियोस्क तथा जन सुविधा केन्द्र (C.S.C) की सूची बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

2.राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा।

3.फीस एक बार जमा होने पर यापिस नहीं लौटाई जायेगी।

4.फीस जिस श्रेणी की जमा कराई जाती है, अभ्यर्थी को उसी श्रेणी का माना जायेगा। बाद में अभ्यर्थी द्वारा अपनी श्रेणी में परिवर्तन चाहने की स्थिति में श्रेणी परिवर्तन के लिये उसी स्थिति में विचार किया जायेगा जबकि अभ्यर्थी ने आवेदन शुल्क संशोधित श्रेणी के लिये निर्धारित शुल्क जमा करवाया हुआ है।

5. सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम है तथा वे परीक्षा शुल्क रूपये 250/- ही जमा करते हैं, ऐसे अभ्यर्थी अपने परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र पात्रता की जांच एवं दस्तावेज के सत्यापन के समय आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।

3. प्रवेश पत्र:-बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ही आवेदन प्रवेश-पत्र जारी किये जाएंगे। बोर्ड द्वारा डाक से कोई भी प्रयोग पत्र नहीं भेजा जाएगा। बोर्ड की वेबसाइट पर प्रवेश-पत्र जारी किये जाने की सूचना समाचार पत्रों एवं वेबसाइट के माध्यम से जारी की जाएगी। आवेदक अपना प्रवेश-पत्र वेबसाइट से प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र कमांक एवं जन सुविधा (C.S.C) पर फीस जमा करने का टोकन नम्बर ध्यान में रखें। उपलब्ध संसाधनों एवं सुविधा के आधार पर प्रवेश-पत्र सम्बन्धी सूचना आवेदक के ई-मेल आईडी (E-mail ID) एवं मोबाइल नम्बर पर भेजी जा सकती है।

## 4. वनपाल एवं वनरक्षक के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण निम्न प्रकार है:-

### (क) गैर-अनुसूचित क्षेत्र

पद का नाम	कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अति पिछड़ा वर्ग				आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग			
		सामान्य	समान्य भौतिक	विवाह	परिवर्तन	सामान्य	समान्य भौतिक	विवाह	परिवर्तन	सामान्य	समान्य भौतिक	विवाह	परिवर्तन	सामान्य	समान्य भौतिक	विवाह	परिवर्तन	सामान्य	समान्य भौतिक	विवाह	परिवर्तन	सामान्य	समान्य भौतिक	विवाह	परिवर्तन
वनपाल	73	10	2	2	-	14	4	1	1	15	4	2	-	-	-	-	-	6	3	-	-	5	2	-	-
वनरक्षक	886	281	80	32	8	103	29	11	3	67	19	8	2	46	14	5	1	62	18	7	1	63	18	7	1

पद का नाम	बासं जिले की सहरिया आदिम जाति			
	सामान्य	समान्य भौतिक	विवाह	परिवर्तन
वनपाल	2	-	-	-
वनरक्षक	-	-	-	-

पद का नाम	द्वैतिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)		
	विशेष योग्यजन	मूलपूर्व सैनिक	उत्कृष्ट खिल
	Acid Attack Victim		
वनपाल	03	09	02
वनरक्षक	35	292	18

### (ख) अनुसूचित क्षेत्र

पद का नाम	कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति			
		सामान्य	समान्य भौतिक	विवाह	परिवर्तन	सामान्य	समान्य भौतिक	विवाह	परिवर्तन	सामान्य	समान्य भौतिक	विवाह	परिवर्तन
वनपाल	14	4	-	1	-	02	-	-	-	5	2	-	-
वनरक्षक	155	43	13	5	1	03	1	1	-	62	18	7	1

पद का नाम	क्षेत्रिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)		
	विशेष योग्यजन	भूतपूर्व सैनिक	उत्कृष्ट खिलाड़ी
	Acid Attack Victim		
वनपाल	01	02	-
वनरक्षक	06	01	03

नोट:-

- प्रत्याग पद के लिये अभ्यर्थियों का अलग-अलग ऑनलाइन आवेदन भरना होगा।
- गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकेंगे। यदि अभ्यर्थी का चयन गैर अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित क्षेत्र दोनों में होता है तो पात्रता की जांच के समय अभ्यर्थी को दोनों में से किसी एक क्षेत्र का विकल्प प्रस्तुत करना होगा।
- अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक ऑनलाइन आवेदन में अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करें। अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में अंकन नहीं करने की स्थिति में उनके आवेदन पर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिये विचार नहीं किया जायेगा।
- महिला भूतपूर्व सैनिकों उत्कृष्ट खिलाड़ी एवं विशेष योग्यजनों के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण दण्डवत (Horizontal) से होगा।
- विजापन जारी होने के उपरान्त विजापित पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है एवं आरक्षण संबंधी प्रावधानों के संबंध में राज्य सरकार के नवीनतम नियमों के अनुसार पारिवर्तन किया जा सकेगा।

विशेष सूचना:-

- कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्वर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रीत किया जायेगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात ऐसी अग्रीत की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी। यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जाएगा।
- परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिये ऐसी रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्षों में उपलब्ध हो।
- राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा।
- महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण क्षेत्रिज (Horizontal) प्रवर्गनुसार (Categorywise) 30 प्रतिशत होगा। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वे महिला आवेदक हैं, आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा।  
स्पष्टीकरण:- किसी वर्ग(अनारक्षित पद(सामान्य वर्ग)/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष आवेदक से भरा जाएगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमीलेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- महिलाओं हेतु आरक्षित दर्शाए गए पदों में नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत परित्यक्ता (विवाह विछिन्न महिला) महिलाओं के लिए आरक्षित है। यदि पर्याप्त विधवा अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती हैं तो विधवा के लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की परित्यक्ता (विवाह-विछिन्न महिला) से भरा जायेगा। इसी प्रकार यदि पर्याप्त परित्यक्ता अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की सामान्य महिला से भरा जायेगा। विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र एवं परित्यक्ता महिला (विवाह विछिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
- अति पिछड़ा वर्ग के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ.2 (12)/विधि/2/2019 दिनांक 13.02.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के अति पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों (नॉन क्रीमीलेयर) को 05 प्रतिशत आरक्षण देय है।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ.7 (1)/कार्मिक/क-2/2019 दिनांक 19.02.2019 एवं 20.10.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देय है।
- कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 के अनुसार सामान्य श्रेणी के पदों के विरुद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग( अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग) के केवल वे ही आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिये देय किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है।
- राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग /अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का माना जावेगा।
- बांग जिले की सहरिया आदिम जाति के आवेदक को आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी के संबंधित कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करने पर ही उसके बांग जिले में सहरिया जाति के लिये राज्य सरकार के निर्देश कमांक प.13(20) कार्मिक/क-2/91पार्ट दिनांक 21.05.2013 के अनुसार आरक्षण का लाभ देय होगा।
- भूतपूर्व सैनिकों हेतु:-  
(क) भूतपूर्व सैनिकों के आश्रिता का भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा।  
(ख) भूतपूर्व सैनिक -  
(1) प्रांतिका (शल, जल, वायु रक्षा) सेवाओं से लवायुक्त के समान आवेदक का चरित्र "अच्छा" से कम नहीं होना चाहिये जैसा कि उसकी सेवामुक्ति में दर्शाया गया हो।  
(2) प्रतिरक्षा रक्षा संसाधनों के उपचार का चरित्र एवं हाना चाहिये जो उसे नियोजन के लिये अर्ह करना दे।

भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5 प्रतिशत पद आरक्षित है। भूतपूर्व सैनिकों के पदों का आक्षणिक क्षेत्रिज (Horizontal) रूप से अर्थात आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग) का उपलब्ध होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत प्राप्तान्तरिकता की विवरण इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिये कार्मिक विभाग की अधिसूचना एफ.5(18) कार्मिक/क-2/84 पार्ट-II दिनांक 17.04.2018 के अनुसार प्रावधान भी लाभ नहीं होगा। इस अधिसूचना के अनुसार कार्मिक भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों का लाभ नहीं होगा। उनके लिये संबंधित विभाग की अधिसूचना एफ.2(12) कार्मिक/क-2/91पार्ट-II दिनांक 21.05.2013 के अनुसार आरक्षण का लाभ नहीं होगा। इस अधिसूचना के अनुसार कार्मिक भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों का लाभ नहीं होगा।

2. साक्षात्कार में उपरिथित होने से पहले जहाँ लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है।

3. लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपरिथित होने से पहले जहाँ केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाना है, जैसा भी मामला हो।

**स्पष्टीकरण:-** कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 21.05.2019 के अनुसार जब किसी सैनिक द्वारा कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.04.2018 के तहत किसी पद हेतु आवेदन किया जाता है। तो ऐसे भूतपूर्व सैनिक के संबंध में यदि उसका सेवा निवृत्ति आदेश जारी हो चुका है और उसके द्वारा प्रत्युत्त किया जाता है। जिसमें सेवानिवृत्ति की तिथि (चाहे भविष्यवर्ती ही हो) का स्पष्ट उल्लेख हो, तो लिखित परीक्षा / मुख्य परीक्षा / साक्षात्कार / दस्तावेज सत्यापन जैसी भी स्थिति हो की तिथि तक सेवानिवृत्ति आदेश प्रस्तुत कर दिये जाने पर उसे सेवानिवृत्ति का प्रमाण पत्र भाना जावेगा तथा इस आधार पर आवेदक को भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के लाभ देय होगे। इस आदेश के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे पात्र अभ्यर्थियों का चयन कर उनके सेवामुक्ति की तिथि तक कार्यग्रहण अवधि में शिथिलन प्रदान कर सकता है। यदि किसी कारणवश भूतपूर्व सैनिक कार्यश्रहण नहीं करता है तो ऐसी स्थिति का नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरा जावेगा और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रणीत की जायेगी तथा तत्पश्चात ऐसी रिक्तियां व्य消गत (Lapse) हो जायेगी।

11. **उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों हेतु-** उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F.5(31)DOP/A-II/84 दिनांक 21.11.2019 के अनुसार कुल रिक्तियों का 2% देय होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा। आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा और ऐसी रिक्ति पश्चात्यवस्थी वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जायेगी। उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी में केवल वे ही अभ्यर्थी आवेदन करें जो कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ५(31)डीओपी/ए-11/84 दिनांक 21-11-2019 में नीचे वर्णित योग्यता रखता हो। इनसे भिन्न योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी का उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिये आरक्षित पदों पर चयन पर विचार नहीं किया जायेगा।

**उत्कृष्ट खिलाड़ी सम्बन्धी प्रावधान :-** कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ५(31)डीओपी/ए-11/84 दिनांक 21-11-2019 के अनुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी सम्बन्धी अभिप्रेत है जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं और जिन्होंने :-

1. उक्त सारणी के स्तंभ संख्यांक 2 में उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था द्वारा आयोजित नीचे दी गयी अनुसूची के स्तंभ संख्यांक 3 में उल्लिखित खेलकूद के किसी अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट / चैंपियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो:

क्र.सं. 1	अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था 2	दूर्निमेट / चैंपियनशिप का नाम 3
1	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (आई.ओ.सी.)	ओलम्पिक गेम्स(श्रीमकालीन)
2	एशिया ओलम्पिक परिषद (ओ.सी.ए.)	एशियन गेम्स
3	दक्षिण एशियन ओलम्पिक परिषद (स.ए.ओ.सी.)	दक्षिण एशियन गेम्स; जो सामान्यतः सैक गेम्स के रूप में जाने जाते हैं।
4	राष्ट्रमण्डल खेल परिसंघ (सी.जी.एफ.)	राष्ट्रमण्डल गेम्स
5	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति से संबद्ध अन्तर्राष्ट्रीय खेल परिसंघ	विश्व कप/ विश्व चैंपियनशिप
6	एशिया ओलम्पिक परिषद से संबद्ध एशियन खेल परिसंघ	एशियन चैंपियनशिप
7	अन्तर्राष्ट्रीय स्कूल खेल परिसंघ (आई.एस.एस.एफ.)	अन्तर्राष्ट्रीय स्कूल गेम्स/ चैंपियनशिप
8	एशियन स्कूल खेल परिसंघ (ए.एस.एस.एफ.)	एशियन स्कूल गेम्स/ चैंपियनशिप

या

2. स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी स्कूल नशनल गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो;

या

3. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन(एन.एस.एफ.) द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के नेशनल चैंपियनशिपमें व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो;

या

4. एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज द्वारा आयोजित ऑल इण्डिया इंटरस्टूनिवर्सिटी के किसी खेलकूद में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो;

या

5. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन/पैरा ओलम्पिक कमेटी ऑफ इण्डिया या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेलकूद की नेशनल चैंपियनशिप/पैरा नेशनल चैंपियनशिप या नेशनल गेम्स/नेशनल पैरा गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया हो।"

**नोट:-** कृपया उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी वे ही अभ्यर्थी आवेदन करें जिनके पास उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 5 में वर्णित श्रेणियों के अनुसार खेल प्रमाण पत्र हों। यदि किसी आवेदक ने जान-बूझकर बिना याग्य खेल प्रमाण पत्र उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी अंकित की है, तो बोर्ड द्वारा ऐसे आवेदक के विरुद्ध कार्यवाही भी की जा सकती है।

12. **विशेष योग्यजन (निश्चिकतज्जन) के लिये :-**

a. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के नियम 6(2)b अन्तर्गत गठित समिति की बैठक दिनांक 24.02.2020 में लिये गये निर्णय के अनुसार निम्न लिखित श्रेणी के विशेष योग्यजन को ही आरक्षण का लाभ देय है:-

1. Acid Attack Victim पात्र होंगे।

b. विशेष योग्यजन के लिये दर्शाए गए आरक्षित पदों का आरक्षण भी क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।

c. उपरोक्त दर्शाए गए विशेष योग्यजन के आरक्षित पदों के लिए पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018के अनुसार ऐसी रिक्ति को अग्रणीत किया जाएगा।

d. विशेषयोग्यजन आवेदक On line application form में यथारथान अपने वर्ग एवं विशेषयोग्यजन की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करें।

५. ऐसे आवेदक जो विशेष योग्यजन की श्रेणी में आते हैं, अपनी विशेष योग्यजन के सम्बन्ध में राजरथान दिव्यागजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार समुचित सरकार द्वारा निर्धारित विकिटसा प्राविकारी के द्वारा प्रदत्त स्थाई विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र (Permanent Disability Certificate) में विशेष योग्यजन का स्पष्ट प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजरथान निःशक्तता व्यवित्तयों के नियोजन नियम के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता (विशेष योग्यजन) का प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक विशेष योग्यजन होने पर ही अध्यर्थी को विशेष योग्यजनों हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जाएगा।

## ५. अनुसूचित क्षेत्र के अध्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

१. अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिये केवल राजरथान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के अध्यर्थियों से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जो अनुसूचित क्षेत्र के सदमावी निवासी हैं और जो स्वयं या, यदि उनका जन्म १ जनवरी, १९७० के बाद हुआ है तो उनके माता-पिता/पूर्वज १ जनवरी १९७० के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सदमावी निवासी रहे हैं। कार्मिक(क-२) विभाग की अधिसूचना दिनांक २१.१०.२०१९ के अनुसार इनके अन्तर्गत आमे वाले किसी व्यक्ति से विवाह द्वारा संबंधित है और वह अपने विवाह के द्वाद से अनुसूचित क्षेत्र का सदमावी निवासी है।
२. अनुसूचित क्षेत्र के लिए अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति आरक्षण की गणना राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.१३(२०) कार्मिक/क-२/९१/पार्ट दिनांक ०४.०७.२०१६ के अनुसार की जायेगी।
३. अनुसूचित क्षेत्र के कार्मिकों का चयन राजरथान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तों) नियम-२०१४ के अधीन होगा। जहां पर इन नियमों में स्पष्ट प्रावधान नहीं हैं, वहां पर राजरथान वन अधिनस्थ सेवा नियम, २०१५ के प्रावधान लागू होंगे।
४. अनुसूचित क्षेत्र भारत के राष्ट्रपति, द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या एफ. १९(२) ८०-एल-१ दिनांक १२.०२.१९८१ द्वारा घोषित क्षेत्र के कम में कार्मिक(क-२) विभाग ने अपने परिपत्र कमाक प.१३(२०) कार्मिक/क-२/९१/पार्ट-३ दिनांक ०१.०६.२०१८ द्वारा भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय (विद्यार्थी विभाग) की अधिसूचना दिनांक १९.०५.२०१८ (बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध) के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र को विख्याइट (Rescinds) करते हुए, अनुसूचित क्षेत्रों को पुनः परिनिश्चित (Redefined) किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम अधिसूचना में शामिल अनुसूचित क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुये ही अनुसूचित क्षेत्र के बॉलर में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करें।

**नोट:-** अनुसूचित क्षेत्र के अध्यर्थियों के लिए वेतनमान, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, राष्ट्रीयता, आयु, पेशन, विवाह पंजीयन, परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन भरने एवं आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया, नियुक्ति की अयोग्यताएं, प्रमाण-पत्रों के सत्यापन, अनुचित साधनों की रोकथाम एवं परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं स्कीम संबंधी प्रावधान गैर-अनुसूचित क्षेत्र के समान यथावत लागू होंगे।

**६. वेतनमान:-** राज्य सरकार द्वारा देय सातवें वेतन आयोग के अनुसार वनपाल का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-४ निर्धारित है तथा वनरक्षक का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-४ निर्धारित है। परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रामिक राज्य सरकार के आदेश अनुसार देय होगा।

**अन्य शर्तें :-**

- (१.) सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त परिवीक्षार्थीन प्रशिक्षा (Trainee) को परिवीक्षा की अवधि के दौरान मासिक नियत पारिश्रामिक रेसी दरों पर संदर्भ किया जायेगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की जावे।
- (२.) सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त सभी व्यक्तियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिये की जायेगी। इस अवधि के दौरान पद की वेतन शूखला न देकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रामिक (Fixed Remuneration) देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षेत्रपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधाएं एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में निहित संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगा। परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर पद की वेतन शूखला का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे य स्थाईकरण का पात्र होगा।

## ७. पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता:-

**i. वनपाल के लिए:-** (i) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सीनियर सैकण्डरी (10+2) या सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित परीक्षा उत्तीर्ण

(ii) देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।

**ii. वनरक्षक के लिए:-** (i) किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण

(ii) देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।

जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा हो, जो इन नियमों में उल्लिखित पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा लेकिन वह/उसे उपयुक्त चयन एंजेसी को अपेक्षित शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा:-

१. मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले, जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के दो चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है,

२. साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है।

३. लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहाँ लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाना है, जैसा भी मामला हो।

## शारीरिक मापदण्ड एवं दक्षता परीक्षण:-

(क) वनपाल और वनरक्षक के पदों पर सीधी भर्ती का अध्यर्थी नीचे यथा विहित शारीरिक उपयुक्तता के न्यूनतम मापमान प्राप्त करेगा :-

अध्यर्थी	ऊँचाई (सेमी.)	सीने का धंरा (सेमी.)	
		सामान्य	फैलाव
पुरुष	163	84	05
महिला	150	79	05

अनुसूचित जनजातियों और नरसे जैसे असमिया, भूटानी, गढ़वाली, गोरखा, कमांड, लद्दाखी, मीजो, नागा, नेपाली, सिक्किमी के अध्यर्थीयों और जो अरुणाचल प्रदेश, लाहौल तथा स्पीति, मेघालय से हैं, के मामले में न्यूनतम ऊँचाई के निम्नलिखित मापमान अनुज्ञात किये जा सकेंगे :-

अध्यर्थी	ऊँचाई (सेमी.)
पुरुष	152
महिला	145

(ख) पद-चाल परीक्षण :- पुरुष/महिला अध्यर्थी को कमश २५/१६ किमी की दूरी ४ घण्ट के भीतर-भीतर पैदल चल कर तथ करने वाला एक शारीरिक प्रशिक्षण उत्तीर्ण करना होगा।

(ग) वग रक्षक के पद पर सीधी भर्ती के किसी अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता के निम्नलिखित मापमान भी प्राप्त करने होंगे। अभ्यर्थी अपने स्वयं के जीवित पर शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए उपस्थित होंगे।

### पुरुषों के लिए:-

मद	मापमान
1. सिट-अपस	1 मिनट में 25 दोहराएँ
2. फिकेट जैल फेंक (थो)	55 मीटर

### महिलाओं के लिए

मद	मापमान
1. छाड़ी लम्बी कूद (स्टैण्डिंग ब्राड जम्प्स)	1.35 मीटर
3. गोला फेंक	4.5 मीटर
4. (शॉट पुट) (4 कि.ग्रा.)	

शारीरिक दक्षता के ये मापमान, भूतपूर्व सैनिक कार्मिकों/बांसा जिले में निवास कर रहे सहिया अभ्यर्थियों और जनजाति से आयोजना क्षेत्र के अनुजा./अनुजन.जा. अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए समस्त प्रवर्गों के अभ्यर्थियों पर लागू होंगे।

सिट-अपस के लिए अभ्यर्थी अपनी पीठ के बल लेटेगा, उसकों को थामने के लिए सहारे के साथ उसकी टांगे पूर्णरूप से तभी हों और अपने ऊपरी शरीर को उठायेगा। उठने समय अपने ऊपरी शरीर को 90 डिग्री तक उठायेगा (शरीर को जमीन के साथ लम्बवत् करते हुए) उसकी टांगे उठनी नहीं चाहिए। छाड़ी लम्बी कूद (स्टैण्डिंग ब्राड जम्प्स) के लिए अभ्यर्थी रिधर दशा (बिना दौड़ लगाये) से कूदेगा और कूदने व टेक लगाते समय भी दोनों टांगों का साथ-साथ रखेगा।

(घ) अहंता के लिए उपरोक्त उप-नियम (2) के खण्ड (ग) में उल्लिखित मदों के लिए किसी अभ्यर्थी को दो अवसर दिये जायेंगे।

(ङ) शारीरिक दक्षता परीक्षण नियम 23 के उप-नियम (2) के अधीन गठित समिति द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा संचालित किया जायेगा।

(ब) शारीरिक मापदण्ड एवं दक्षता परीक्षण केवल अहंक प्रकृति (Qualifying in Nature) का होगा।

### अन्य योग्यताएँ :-

(1) स्वास्थ्य:- वनपाल एवं वनरक्षक के पद पर भर्ती के लिए उभ्मीदधार अव्यक्त मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए और वह ऐसे किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो कि वनपाल एवं वनरक्षक के रूप में उसके कर्तव्यों के कुशल पालन में बाधा डाल सके और यदि वह चयनित कर लिया जाता है तो उसे इसके लिये अपना आरंभयता प्रमाण पत्र उस जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या मेडीकल ज्यूरिस्ट द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना होगा जिस जिले में समान्यतः वह निवास करता है।

(2) चरित्र - सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जिससे कि वह वनपाल एवं वनरक्षक के पद पर नियुक्ति के लिये योग्य हो सके। उसे सद्वरित्र का प्रमाण पत्र ऐसे विश्वविद्यालय, स्कूल या कॉलेज जहां उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो, के प्रधानाचार्य / शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रदत्त, प्रस्तुत करना होगा और दो ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे जो आवेदन-पत्र की दिनांक से 6 महीने पहले के न हो और अभ्यर्थी के रिश्वेदार द्वारा प्रदत्त पात्रता का वांछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

### 8. राष्ट्रीयता :-

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेशनल का प्रजाजन हो, या

(ग) भूदान का प्रजाजन हो, या

(घ) ऐसातिक्ती शरणार्थी जो दिनांक 1-1-62 से पहले भारत में रक्षाई रूप से बसने के विचार से आया था, या

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति ने जो भारत में रक्षाई रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगान्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (भूतपूर्व टंगानियां जंजीजार), जाम्बिया, मालवी, जैर और इथोपिया से भारत में स्थानान्तरण कर लिया हो।

नोट-परन्तु शर्त यह है कि वर्ग (ख),(ग),(घ),(ङ) से सम्बन्धित प्रार्थियों को भारत सरकार के गृह एवं न्याय विभाग द्वारा प्रदत्त पात्रता का वांछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

**9.आयु:-वनपाल :-** आवेदक 1, जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, परन्तु “जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिये भर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जावेगा, किन्तु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जावेगी।”

**वनरक्षक:-** आवेदक 1, जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 24 वर्ष का नहीं हुआ हो, परन्तु “जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिये भर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जावेगा, किन्तु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जावेगी।”

**स्पष्टीकरण:-** वनपाल एवं वनरक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन वर्ष 2015-2016 के बाद में नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की और छूट दी जाएगी।

उच्चतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों में छूट निम्न प्रकार देय होगी:-

1. अधिकतम आयु सीमा में -

(क) अनुशूचित जाति/अनुशूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को, जो राजस्थान के मूल निवासी हैं, के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(ख) सामान्य वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(ग) अनुशूचित जाति/अनुशूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान की मूल निवासी हैं, के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।

2. अधिकतम आयु सीमा उस भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जिसने सजा भिलने से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर संस्थाई आधार (Substantive) पर सेवा की हो और जो सजा पान से पूर्व नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था।

3. अधिकतम आयु की सीमा में किसी ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में उसके द्वारा भोगी गई सजा की अवधि के बराबर काल तक की ढील दी जाएगी, जो कि सजा भिलन से पहले अधिक आयु का नहीं हुआ था और नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए योग्य था।

4. कैडेट प्रशिक्षकों (Cadet Instructors) को उनकी वास्तविक आयु में से उत्तना समय घटाने की अनुमति दी जायेगी जितना समय उन्होंने एन.सी.सी. की सेवा में दिया है यदि उसके परिणाम स्वरूप उनकी आयु उपर्युक्त निर्धारित अधिकतम आयु तक नहीं हुई हो।

5. राज्य सेवा में एक पद के लिए अस्थायी रूप से नियुक्ति किए गए व्यक्तियों को आयु सीमा के भीतर माना जाएगा यदि वे आयु सीमा के भीतर थे, जब वे शुरू में नियुक्त किए गये थे, भले ही वे आयु सीमा पार कर चुके हों, जब वे चयन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत हों, और दो अवसरों तक की अनुमति दी जायेगी, जैसे वे अपनी प्रारंभिक नियुक्ति के समय पात्र थे।

6. सेना में मुक्त होने के बाद जारी किए गए आपातकालीन कमीशन अधिकारी और शॉर्ट सर्विस कमीशन के अधिकारियों के व्यक्तियों के मामले में निर्धारित आयु सीमा में माना जायेगा भले ही वे निर्धारित आयु सीमा को प्राप्त कर चुके हों जब वे चयन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत हों।

7. रत्ना पंचायत समिति तथा जिला परिषद और पश्चिम सेवटर आयोग / नियम के कार्यक्रमों के संबंध में अधिकारी हैं सीधत से रेया कर रहे व्यक्तियों में संघर्ष में उपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

8. भूतान्त्र सना कार्मिकों और रिजर्विस्टों अधीन रक्षा सेवा नामिकों रत्ना निजर में स्थानान्तरित किया गया था के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी।

9. विधाया आंव विचित्र विवाह महिलाओं के मामले में फाँड़ आयु सीमा नहीं होगी।

**स्पष्टीकरण :-** विधाया महिला के मामले में उस सक्षम प्राधिकरण रो अपने पते की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विचित्र विवाह नोट:-

(क) संस्थाइ नगंचारी को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छू नपी तो जावेगी यादे बढ़ गोर्ड कार्यालय में आवदन प्राप्त करने की अन्तिम दिनांक तक संस्थाइ कर्मचारी की श्रेणी में हो। आवदक के आवक्तु जन हाने पर लगका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(ख) आयु संबंधी छूट की अधिक जानकारी के लिये राजस्थान बन अधीनस्थ सेवा नियम, 2015 एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी जनाम, निर्देश, परिपत्र एवं अधिसूचना का अध्ययन करें।

(ग) सामाजिक विन्दु ५ की क.रा. १ से ०९ पर वर्णित आयु सीमा में छूट का पावधान "Non Cumulative" है अर्थात् अभ्यर्थियों को उपराक्त क.स. १ ग ०९ में वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों का जाँड़ कर लाभ नहीं दिया जायेगा।

**10. अंशदायी पेशन:-** नया भर्ती/नियुक्त व्यापारी व्यापारी के लिये नियम-सारांश अंशदायी परन्तु याजना लागू होगी।

**11. विवाह पंजीयन:-** व्यापार के परिषद क्रमांक ५६(ए) गठ-१३-२००८ तारीख २२-५-२००८ के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक संज्ञानीय रूप से नियुक्त हतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र यथा समय बांधनीय होगा।

**12. परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि:-**

(क) परीक्षा शुल्क याज्य के लिए इ-भिन्न केन्द्रीय जन सुनिधान एन्ट (C.S.C.), नेट वैक्स, ए.टी.एम. कम डेविट कार्ड एवं क्रॉडिट कार्ड के माध्यम से दिनांक ०८.१२.२०२० से दिनांक ०७.०१.२०२१ का मध्य १०.३० ११.५९ वज्र तक जमा कराया जा सकता है।

(ख) आनलाइन आवेदन पत्र दिनांक ०८.१२.२०२० से दिनांक ०७.०१.२०२१ का मध्य रात्रि ११.५९ वज्र तक गोर्ड की वेबसाइट पर भरं जा सकत है (हराक रामरात लिंक निष्पक्ष हो जाएगा)। आवेदकों का सलाह नहीं जाती है कि आनलाइन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए गए रामरात सुनिधित है।

**13. परीक्षा का माह एवं दिनांक:-** बनपाल एवं बनक्षक के पदों की भर्ती परीक्षा गोर्ड द्वारा आवंटित परीक्षा केन्द्रों पर करवाई जायेगी। इस संबंध में विस्तृत सूचना याँड़ की वेबसाइट एवं प्रेस विज्ञापन के माध्यम से अलग से दी जायेगी। याँड़ के पास परीक्षा की दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन नहीं जाती है।

**14. अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में :-** सभी आवेदक जो पहले तो तो सरकारी नौकरी में हैं या सरकारी उपकरणों में नियुक्त हैं, उन्हें अपने नियावता का इस परीक्षा के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही लिखित में सूचित करते हुये आवेदन करना चाहिए।

**15. नियुक्ति की अयोग्यताएँ :-**

(1) किसी भी एक पुरुष आवेदक को जिसकी एक से अधिक जीवित वर्ती वा चयनित विधि जाने या नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जायगा। ऐसी आवेदन को इस नियम नींव विवाही रो छूट दो जो सकती है तो : संकार सत्याग्रह कि एसा करने के लिए विशेष आधार है।

(2) किसी भी एसे भूमिला आवेदक को जिसने उस पुरुष सम्बन्ध किया है जिसके पहले गोर्ड पत्नी है नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जायगा। किसी भी आवेदक को इस नियम की कार्यालयी रो छूट दो जो सकती है तो वारें सरकार सत्याग्रह कि एसा करने के लिए विशेष आधार है।

(3) कोई भी विवाहित आवेदक संयोग में नियुक्ति करने के लिए पत्रनहीं लागू होगी, यदि उसने विवाह के समय कोई दंहज स्वीकार किया हो।

(4) ऐसा काई भी अभ्यर्थी, जिसका १-६-२००२ का या उसके पश्चात या न अधिक जन्मे हो सेता में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा परन्तु दो स अधिक वर्षों वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक नियुक्ति नहीं समझा जायेगा, जब तक कि १ जून, २००२ का विद्यमान उसके वर्षों को अख्या में घटाते रही होंगी।

परन्तु यह और कि जहा किसी आवेदक के पूर्वतार प्रसव से अवल एक वर्षा हो किन्तु किसी एक पश्यात्वर्ती प्रसव से एक स अधिक वर्षा पैदा होते हों वहाँ वर्षों की कुल संख्या की गणना करने समय इस प्रकार पैदा हुए वर्षों को एक इकाई समझा जायेगा।

परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय एसी संतान की, जो पूर्वतार प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त न हो पायना नहीं की जाएगी।

(5) कोई भी उम्मीदवार जिसे राजस्थान कर्मचारी चयन वार्ड न छद्मनाम्ना (अपने आप का अन्य व्यक्ति होना चाहाना) करने, या कांट-छाट किए हुए जासा दरकार विवाह करने देने या महत्वपूर्ण सूचना इत्यादि या परीक्षा में अनुचित तरीके काम में लेने या लेने का प्रयत्न करने या परीक्षा में प्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए काई अन्य अनियमित या अनुचित तरीके अपनाने का दाष्ठी घोषित किया हो, वह अपने आप को फौजदारी मुक्तमांदा तो उन्नरात्मायी चयन के लिए स्थाई वर्ग से या राजस्थान कर्मचारी चयन गोर्ड द्वारा निर्दिष्ट अवधी तक के लिए वर्तिष्ठत (Debarred) कर दिया जायेगा।

**16. आवेदन कैसे करें:-**

आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है, उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें।

**नोट-** अल्पस्थान के पिछड़ा वर्ग विवाही वर्ग की कार्यालयी वर्गी के आवेदक विवाही राज्य सभा राज्यों की अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग (कीर्मीलंग) वा भोज कीर्मीलंग वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

**कृपया ध्यान दे:-**

1. आवेदकों ने कियावत दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व वार्ड के विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर निर्देशों के साथ संविधित सदा नियम का अध्ययन कर ले।

2. ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक भी स्लोकार कि एसएंग। आवेदक आवेदन पत्र प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि वह विज्ञापन के नियमानुसार पात्रता विवाही वर्ग की समस्त शर्तें पूरी करता है एवं पद के सम्बन्ध में वाहों आवश्यक समरत सूचनाएं संविधित कॉलम में सही हो रही गई हैं। समरत प्रविष्टिया पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में वार्ड द्वारा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा अथवा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाओं में विवरणित वर्ग से या राजस्थान कर्मचारी चयन गोर्ड द्वारा निर्दिष्ट अवधी तक के लिए वर्तिष्ठत (Debarred) कर दिया जाएगा।

3. यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी का आवेदन करने का आवेदक को आवेदन पत्र वार्ड नियमी भी न कर रद्द किया जाएगा अतः भक्ता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक को होगी। अन्यान्त जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग की आवेदक विवाही राज्य जाति / श्रेणी आदि की लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र में किसी प्रार्थना-पत्र पर विचार किया जाएगा।

4. वार्ड द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाओं के आवश्यक विवरण जाता है तो उसका ऑनलाइन आवेदक पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा जिसकी विवरण नियमानुसार स्वयं आवेदक की होगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई विवरणों में संशोधन की अवधि समाप्त होने के बाद ।

५. आवेदक विनाक औनलाइन आवेदन पत्र अन्तिम दिनांक तक यार्ड कार्यालय ने यह पूर्ण सूचना शहित प्राप्त होंगे, ऐसे आवेदकों को यार्ड द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के लिये प्रवेश-पत्र जारी करने का यह अधिकार नहीं है कि यार्ड द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में कोई गयी प्रविधियाँ यार्ड द्वारा सही मान ली गई हैं। यार्ड द्वारा आवेदकों की पात्रता वो जांच अलग से की जायगी। अरथाई रूप से तायान होने की विधि में आवेदक को विस्तृत आवेदन दो प्रतियों में समर्त आवश्यक दरखतातजा। यह स्थापित कोटा प्रतियों के साथ यार्ड कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। यार्ड द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जान करते समय तथा भूल प्रलिख्या यह पात्रता की जांच करन समय यदि आयु, शैक्षणिक, सांख्यिक तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग एवं भूजांग सोनक या अन्य शर्तों की पात्रता नहीं करन के कारण यदि अभ्यर्थी की व्यावहारिक का पता चलता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी नियमों में स्तर पर घट्ट नहीं जा सकता। इंजिनियरी समर्तन विभागीय स्वयं अभ्यर्थी को डागी।

c. अस्पायरेंस की सुविधा हतु विज्ञापन राजस्थान राजगांव सन्दर्भ में आगामी संस्करण में प्रकाशित किया जा रहा है एवं योड़ की बेस्टाइट [www.e-governance.rajasthan.gov.in](http://www.e-governance.rajasthan.gov.in) पर भी उपलब्ध है।

7. फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश

**फोटो अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश :**

१०. फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नदीं होने पर आवदन अखीकार (अ.) जा सकता है।

h. आवंदक न नियोनतम रंगांन फोटो (आधिकतम छ भाषा पुराना) अपलोड करना। चाहिए। भाषाईल व अन्य स्वयं रचित फोटों का उपयोग नहीं कर।

c. फोटो का पृष्ठभूमि ( Background ) सफेद या हल्के रंग की चाहिए।

१. फोटो में आवंदक का बहरा कम से कम 50 प्रतिशत जगह घरना चाहिए।

८. फांटा में आवेदक का चंहा एवं सिंग किसी भी कपड़, छारा, वालों द्वारा ढका हुआ नहीं प्रेता चाहिए। आवेदक का शिर, आँख, नाक और टाई स्पष्ट रूप से दिखाई दनी चाहिए।

1. यदि आप वस्त्र पहनते हैं, तो फोटो खिचवाते समय वस्त्र में हन सवार हो जाकर वस्त्र पर चम्प (Flash) नहीं होनी चाहिए।

५ आवदक जी फाटा में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए

६. फोटो जपानीज़ (JPEG) प्रारूप में हाना चाहिए एवं इसकी वाईज़ 3.5 cm × 4.5 cm हाना चाहिए।

i. फाटा जपेटा (JPEG) के विकल्प न्यूनतम  $240 \times 320$  एवं आवश्यक  $480 \times 640$  (0.3 मेगापिक्सल) होना चाहिए।

j. फाईल का शक्तिशाली 50 कंवी. से 100 कंवी. तक होना चाहिए।

१. रक्त का गहरा फाटा का आकार 100 के बी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

१. पारका के अधिक प्रवासी पत्र / उपरिख्यति पत्र पर लगी छाटा आवश्यक सा भए खानी चाहिए असाथा उम्मीदवार अयोग्य लहराया जा सकता है।

8. हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश :--

३ आतदयः ए च सा  
सं हस्ताक्षः कर्त्ते ।

b. हरताक्षर कवन आवदक हारा किया जाना चाहिए अन्य किसी व्यक्ति के हारा हरताक्षर मात्र नहीं हागा।

आयताकार वायरस भूमि हस्ताक्षर करने के बाद इम्प्रेस वग स्टेनो वायराकार अन्तर्राक्षर योक्स तथा ग्रॉपिंग करने के पश्चात् अपलोड करें।

ज. परीक्षा के समय प्रश्न पत्र/उपरिथिते पत्र पा किया गया आगामी के अन्ताकार अपलाउ अन्ताकार स मल खाने चाहिए अन्यथा उम्मीदवार आयोग ठहराया जा सकता है।

c. केबल जेपीईजे(JPEG)प्रारूप का स्थाकार किया जाएगा।

1. जेपेइज़ो (JPEG) के लिए न्यूनतम पिक्सेल  $280 \times 80$  से अधिकतम पिक्सेल  $560 \times 160$

पाईल का आवार 20 क.वी. से 50 क.वी. तक होना चाहिए।

- हरसाक्षर का आकार 50 क.वी से ज्यादा नहीं होना चाहें।
- मोबाइल फोन का उपयोग कर लिया गया हस्ताक्षर का फोटोग्राफ़ संगत नहीं किया जायेगा।

**विशेष टिप्पणी:-**  
परीक्षा के पश्चात् संबंधित परीक्षा का प्रश्न पत्र बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा। प्रश्न पत्र की उत्तर कुंजी(Answer Key) बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड की जाकर आपत्तियां आमंत्रित की जायेंगी। प्रत्येक आपत्ति के लिये परीक्षार्थी को निर्धारित तरीके से शुल्क 100/- रु जमा करना अनिवार्य है। इसकी परिक्षा आपत्ति आमंत्रित करने हेतु जारी की जाने वाली विज्ञप्ति में बताई जाएगी।

परीक्षा देने के लिये आते समय अधर्थर्थ रेल/बस की छतों एवं पायदानों पर यात्रा नहीं करें। यह भी ध्यान रखें कि बस स्टैण्ड/रेलवे स्टेशन और रास्तों में तोडफोड, लूटपाट, हुड़दंग, पत्थरबाजी, आगजनी एवं महिलाओं के साथ छेड़खानी आदि न करें तथा अनुशासन बनारे रखें।

कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल फोन, परस इत्यादि लेकर नहीं आए। परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में परीक्षा उपयोग के लिए नीली स्पाही का पारदर्शी बालपेन,  $2.5 \times 2.5$  से.मी. का एक कोटो, एक फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र, ई-प्रवेश पत्र ही कक्ष में ले जा सकते हैं। यदि परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल व अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं साथ लाता है तो उन्हें जब्त किया जा सकता है तथा उनकी सुरक्षा की

जिम्मदारी परीक्षा केन्द्रधारक/संचालक व राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का नहा होगा। जिस परिसर के भीतर परीक्षा आयोजित की जा रही है, वह मोबाइल फोन, पेजस, ब्लूटूथ या अन्य कोई संचार यंत्र रखने की अनुमति नहीं है। इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित आवेदक के खिलाफ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम रख्येशन, 2016 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसमें आवेदक की परीक्षा निरस्त किया जाना भी सम्भलित है।

सभी परीक्षार्थियों के लिये बोर्ड का ड्रेस कोड लागू होगा। विस्तृत विवरण बोर्ड की वेबसाईट [www.rsmssb.rajasthan.gov.in](http://www.rsmssb.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है। परीक्षार्थी को ई-प्रवेश पत्र पर उल्लेखित विस्तृत दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

अंग्रेजों ने अमेरिकी सेवा के लिए बहुत अच्छी तरफ़ दी।

प्राप्ति की आतेस दिनांक क परश्चात् ०७ दिवस के भीतर निर्धारित गुल्म 300/- रुपय दंवर ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, माता के नाम एवं पद नाम के अनावा अन्य प्रविशिष्टियों में संशोधन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने एवं राशोधन हनु निर्धारित फीर जमा करने की प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया के समान ही हार्गी। हमक एश्चात् ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार वा संशोधन/परिवर्तन स्थीकार नहीं किया जायगा तथा ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूण दोषेत्व अभ्यर्थी का होगा।

**18. श्रुत लेखन की सुविधा:-**—सामान्यतया हमीं परीक्षार्थीहो कर्ता दृष्टि न करें तो समय अपने बढ़ावा देंगे, केवल सरजरथान दिल्लीगजन अधिकार नियम, 2018 में निश्चित एवं विशेष गापथजन (नब्रैंडेन (Blind) रुपयमुद्धा त्वय अल्प दृष्टि न, जिसमें 40 परिशत दृष्टिनिःशक्तता) या शारीरिक रूप से निःशब्द (जो वाह कर हानि या उचालेयों नहीं हानि के काण रिस्क्यून में प्रभावमध्य है, को प्रणाली में श्रुतलखक उपलब्ध करायें जायेंगे, परन्तु अचानक दुघटनावश लखन कार्य से असराई रूप से असमर्थ हुए अभ्यर्थिया वो यह सुविधा देय नहीं होगी। श्रुतलखक उपलब्ध कराने हेतु ऐसे परीक्षार्थी प्रवास गति पात लात ही बाहित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित यांत्र को निश्चित करें एवं परीक्षा प्रारम्भ होने के कम से कम तीन दिन पूर्व आवंटित परीक्षा केन्द्र के कन्द्राधीकर के समझ उपरिस्थित होकर बाहित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित श्रुतलखक की व्यवस्था हेतु अनुरोध करें और प्रमाण पत्र की ज्ञ ग्राहणित एक प्रतिक्रियाधोषक को भी दी जायेगी।

**19. प्रमाण-पत्रों का सत्यापन:**—आवदक को वर्ग विशेषण (अनुरागीयता ज्ञाने का अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग उत्पट्ट खिलाड़ी) का लाभ तय ही देय हागा जबकि परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित होने पर मूल दस्तावेजों से उनकी पात्रता की जॉब के लिए गई तथा दस्तावेज सही पाये गए थे। अतः पात्रता की जॉब इनुन्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर लिया जाये।

2. अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण—पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर/नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टियां सही—सही एवं पूर्ण भरी गई है।  
 अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण—पत्र नियमानुसार नवीनतम जारी किये हुए होने आवश्यक हैं।
3. अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण—पत्र जौँ नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो। अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण—पत्र विस्तृत आवेदन—पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा निर्धारित शुल्क के अभाव में ऐसा आवेदन—पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। पति के आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण—पत्र मान्य नहीं होगा।
4. राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को Online Application Form पर सामान्य आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा।
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण—पत्र On line Application Form प्राप्ति की अन्तिम दिनांक के पूर्व का जारी होना चाहिए अन्यथा अन्तिम दिनांक के बाद जारी हुए प्रमाण—पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला आवेदक को भी उनके पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण—पत्र विस्तृत आवेदन—पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा।
7. शैक्षणिक योग्यता, आयु, वैवाहिक स्थिति, परित्यक्ता, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, विशेष योग्यजन, चरित्र एवं अन्य आवश्यक समस्त मूल दस्तावेज़।
- 20. आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व अनुचित साधनों की रोकथाम:**—आवेदकों को अपने ऑनलाईन आवेदन में समस्त सूचना सही—सही अंकित करनी चाहिए और परीक्षार्थियों को केन्द्राधीक्षक/अधिजागर/बोर्ड द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना चाहिए, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित घ्यवहार करने एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध बोर्ड/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे समस्त कार्यालयी कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 1992 के अन्तर्गत एवं बोर्ड द्वारा निर्धारित "Punishment for insolent behavior/disorderly conduct/using or attempting unfair means during the course of examination" तथा "The Rajasthan Subordinate and Ministerial Service Selection Board Prevention of Unfair means in Board Examinations Regulations, 2016" के अनुसार कार्यालयी की जा सकती है। अभ्यर्थियों के सूचनार्थ निर्धारित दण्ड एवं कारणों की विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर दी गई है।

**21. परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं परीक्षा की स्कीम:**— बनपाल एवं बनरक्षक भर्ती की परीक्षा की वेबसाइट [www.rsmssb.rajasthan.gov.in](http://www.rsmssb.rajasthan.gov.in) पर अलग से उपलब्ध करवा दिया गया जायेगा।

स्कीम एवं विस्तृत पाठ्यक्रम बोर्ड की

**22. बोर्ड की वेबसाइट:**—आवेदक बोर्ड की वेबसाइट [www.rsmssb.rajasthan.gov.in](http://www.rsmssb.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के परिसर में स्थित स्थान कक्ष व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष नम्बर 0141-2722520 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि ग्रन्थ संस्थान परिसर दुर्गापुरा, जयपुर-302018 को सम्बोधित किया जायेगा।



(डॉ. बी.एल.जाटावत)  
अध्यक्ष